

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चैनाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) सू.अ.अ. अपील संख्या 316/2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-10-2022	<p>अपीलार्थी चैनाराम पुत्र जगदीशराम जाट निवासी जाटों का बास, ग्राम जवासिया, पोस्ट रियां सेठों की, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.06.2022 में (1) ग्राम जवासिया के नामान्तरण संख्या 42 में नारायणराम, पेमाराम पुत्र लादूराम खाती एवं पूसाराम, मांगीलाल पाबूराम पिसरान कैनाराम जाट की जमीन का बंटवाड़ा आपस में कर बंटवाड़ा स्टाम्प नम्बर 695 दिनांक 13.03.1992 के जरिये आपस में किया गया था। स्टाम्प न. 695 की प्रमाणित प्रति (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	